

निर्वाचन आयोग (E.C.)

- अनु. 324 - 329
- भाग - 15
- 25 Jan. 1950 को स्थापना
- प्रथम आयुक्त = सुकुमार सेन
- पूर्व में एक सदस्य आयोग था।
- 1 Oct. 1993 को इस आयोगको बहु सदस्य बनाया गया।
- 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त + 2 अन्य आयुक्त
- नियुक्ति = राष्ट्रपति द्वारा
(आयुक्तों की)
- कार्यकाल = 6 Y / 65 Y
- त्यागपत्र = राष्ट्रपति
- वेतन = SC के Judge के समान
- पद से हटाने की प्रक्रिया = SC के Judge के समान
- तथा 5 शर्तें
- हटाएगा → राष्ट्रपति
- चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रताएँ -
 - ① कार्यकाल की निश्चितता (केवल महाभियोग द्वारा)
 - ② नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं
 - ③ संवैधानिक पद हैं।
- दोष -
 - ① योग्यता का उल्लेख नहीं

Ba part 2,
toipc - Election
commission

- ② पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं
- ③ सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं।

कार्य / शक्तियाँ -

1. प्रशासकीय 2. सलाहकारी 3. अर्हन्यायिक
- ① राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमण्डल के चुनाव सम्पन्न करवाता है।
- ② संसद के परिसीमन अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है।
- ③ समय-समय पर मतदाता सूची तैयार करवाना

- ④ चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना
- ⑤ राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना
- ⑥ चुनाव चिह्न के सम्बन्ध में दो दलों के मध्य विवाद का निपटारा

- ⑦ चुनाव के लिए आचार संहिता निर्मित करवाना
- ⑧ चुनाव सम्बन्धी सदस्यों की अयोग्यता के सम्बन्ध में राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देगा।
(अनु-103)
- ⑨ चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल से कर्मचारियों की आवश्यकता को लेकर आग्रह करना

संरचना -

केंद्र स्तर

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- अन्य आयुक्त

↓
 राज्य निर्वाचन अधिकारी (state के चुनाव)

राज्य स्तर

आयुक्त
 ↓
 स्थानीय Bodies के चुनाव